कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

(भारतीय लेखा परीक्षा विभाग)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की निष्प्रायोज्य एवं अनुपयोगी पुरानी स्टाफ कार सं0 **UP-70 AG 0990** मेक **मारूति SX-4** **2011** पेट्रोल गाड़ी की नीलामी दिनांक 20/06/2019 को निविदा द्वारा जहाँ है जैसा है के आधार पर आयोजित की जायेगी। निविदादाता दिनांक : 04/06/2019 से 20/06/2019 तक उक्त वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवश के दौरान पूर्वाह्न 11:00 बजे से 01:00 बजे सायं के मध्य कर सकते हैं।

इच्छुक निविदादाता को ₹19,200/— की राशि अग्रिम धन के रूप में दिनांक 20/06/2019 तक (अपराह्न 03:00 बजे तक) जमा करनी होगी।

नीलामी की शर्ते तथा अन्य विवरण अद्योहस्ताक्षरी से दिनांक 20/06/2019 तक (पूर्वाह्न 11:00 बजे तक) किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते है।

संदर्भित वाहन की राशि निविदा फार्म में अंकित करके सील बन्द लिफाफे को दिनांकः 20/06/2019 तक (अपराह्न 03:00 बजे तक) इस कार्यालय के उपमहालेखाकार /प्रशासन (प्रकोष्ठ) में रखे गये टेण्डर बॉक्स में डाला जा सकता है। निविदादाता द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि की छायाप्रति इस लिफाफे में प्रस्तुत की गई दर के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा उनकी दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। समस्त प्राप्त निविदायें इस कार्य हेतु गठित कमेटी के समक्ष दिनांकः 20/06/2019 को अपराह्न 04:00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलने की कार्यवाही के समय निविदादाता या उनका केवल एक प्राधिकृत प्रतिनिधि इन बन्द लिफाफों के खोले जाते समय उपस्थित रह सकते हैं।

लेखापरीक्षा अधिकारी/सा0प्रशा0

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

(भारतीय लेखा परीक्षा विभाग)

संख्याः/नीलामी विविध/115 दिनांकः 03.05.2019

मारूति SX-4 (UP-70 AG 0990) की नीलामी की शर्ते।

1. निविदादाता इच्छुक व्यक्तियों को दिनांक 04/06/2019 से 20/06/2019 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी0एण्ड एस0एस0ए0) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के परिसर में वाहन का निरीक्षण करने का अवसर दिया जायेगा। वाहन का निरीक्षण पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है।
2. निविदा के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को ₹ 19,200/– की राशि अग्रिम धन के रूप में जमा करनी होगी जो–

   (क) वेतन एवं लेखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में, या

   (ख) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी0एण्ड एस0एस0ए0) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के खजांची के पास दिनांकः 20/06/2019 को अपराह्न 01:00 बजे तक नकद जमा के रूप में होनी चाहिए।
3. यदि किसी सफल निविदादाता की निविदा स्वीकार होती है, तो वह निविदा में उल्लिखित कुल धन (अग्रिम जमा की राशि घटाकर) मौके पर जमा करना होगा और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो ₹19200 की अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जायेगी, और विफल रहने वाले निविदादाताओं की अग्रिम जमा धनराशि नीलामी की तिथि के 7 दिनों के अंदर वापस कर दी जायेगी।
4. यदि कोई सफल निविदादाता निविदा की राशि जमा करने और निविदा स्वीकृत होने के बाद वाहन नहीं उठा ले जाता है तो उससे रूपये 100

प्रतिदिन की दर से स्टोरेज चार्जेज लिया जायेगा जो उसे वाहन उठाने की तिथि तक कैशियर के पास जमा करना होगा। वाहन को उठाने तथा ले जाने की व्यवस्था एवं खर्च स्वयं सफल निविदादाता को करनी होगी।

5. आयोजित नीलामी में सरकारी कर्मचारियों को निविदा देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारी का कृत्य आचार नियमावली के अधीन अनुचित समझा जायेगा।
6. प्रधान महालेखाकार के पास बिना कोई कारण बताए किसी निविदा, निविदा के अंश या समस्त निविदाओ को अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
7. किसी विवाद की स्थिति में प्रधान महालेखाकार (जी0एण्ड एस0एस0ए0) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का निर्णय अन्तिम होगा और संबंधित निविदादाता उसे मानने के लिए बाध्य होगा।
8. RTO से गाड़ी का Registration Paper Transfar तथा नया Insurance कराने के उपरांत ही गाड़ी को कार्यालय के द्वारा सफल निविदादाता को हस्तगत (Handover) किया जायेगा।
9. धनराशि ₹1,92,000 से कम डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं जमा अग्रिम धनराशि भी जब्त कर ली जाएगी।

लेखापरीक्षा अधिकारी/सा0प्रशा0

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद

निविदा फार्म

निविदादाता का नाम :

जमा की गयी धनराशि :

कार का नीलामी मूल्य :

निविदादाता का हस्ताक्षर